

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनार्यें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे:-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-193 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-194 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-195 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत एयरलाईन्स को की गई एटीएफ की बिक्री पर कर से छूट प्रदान की गई है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कॉमर्शियल फ्लाईट को कर से छूट प्रदान की गई है;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-198 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-199 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-V में संशोधन किया गया है;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-200 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-201 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

जारी..2..

- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-202 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 13.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-203 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-134 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
- 12 अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-204 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-136 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-205 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत कार्य संविदा के संबंध में सशर्त कर से छूट प्रदान की गई हैं;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17.10.2012 को अतिष्ठित किया गया है;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-208 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या : एफ. 12 (63) वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-209 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-210 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-3 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रवेश कर की दर निर्धारित की गई है;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-213 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 12 (59) वित्त/कर/2014-86 दिनांक 30.7.2014 को विखण्डित किया गया है;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-214 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-215 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-4(क) के अन्तर्गत मैरीज हॉल के लिये प्रशमन योजना, 2015 अधिसूचित की गई है;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-216 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-114 दिनांक 6.3.2013 में संशोधन किया गया है;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-217 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7 के अन्तर्गत कम्युनिटी हॉल को कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-218 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में निश्चित कालावधि के लिये कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क की दर निर्धारित की गई है;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-220 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में आवंटित आवासीय भूखण्ड/निवास इकाई के संबंध में निष्पादित पट्टा/विक्रय पत्र पर पंजीयन शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-221 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है;
- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-222 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान पत्रों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;

- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-223 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत ब्याज की दर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण किया गया है;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-224 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत शास्ति की दर 2 प्रतिशत मासिक से घटाकर 01 प्रतिशत मासिक की गई है;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-225 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ख) तथा उप नियम (4) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की भूमियों के मूल्यांकन के लिये बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-227 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-228 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 में संशोधन किया गया है;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-229 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति के कब्जे के बिना निष्पादित बंधक पत्रों पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-230 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत ऋण समनुदेशन के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 39- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत संनिर्माण भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये दरें अवधारित की गई हैं;
- 40- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-232 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ड.) के अन्तर्गत संनिर्मित भाग के हास की गणना के लिये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;
- 41- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

- 42- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-234 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) में संशोधन किया गया है;
- 43- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-235 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के एक ही वित्तीय वर्ष में पश्चातवर्ती हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 44- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-236 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत प्रायोजक निकाय से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 45- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-237 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत युद्ध विधवा द्वारा गृह ऋण के लिये वित्तीय संस्थाओं, बैंक अथवा सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित बंधक पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी का सशर्त परिहार किया गया है;
- 46- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-238 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत युद्ध विधवा द्वारा गृह ऋण हेतु वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित बंधक पत्र पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;
- 47- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1 एस दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1 आर दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;
- 48- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 एम दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 एच दिनांक 1.3.2002 में संशोधन किया गया है;
- 49- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/5 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत स्लीपर यान से भिन्न वातानुकूलित यात्री यानों पर देय विशेष पथ कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 50- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/2 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित किया गया है;
- 51- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/4 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत निःशक्तजन के उपयोग में लिये जाने वाले चार पहिया वाहनों पर देय एकबारीय कर में छूट प्रदान की गई है;

- 52- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/6 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत मोटरवाहन कर, विशेष पथ कर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 53- अधिसूचना संख्या: एफ.14(7)खान/गुप-II/2014 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है; एवं
- 54- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-239 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रौन्नति स्कीम, 2014 के उपबन्धों में संशोधन किया गया है।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2014-2015 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

प्रथम अवस्था

अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 पर अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 10 मार्च, 2015